सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

ऐसी कोई सूचना जो विदित हो जाये
(मैनुअल–17)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून

E-mail : ufdc2015@gmail.com दूरभाष : 0135 2662971 / फैक्स : 2662334
Website : www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : 49 / सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2025

कार्यालय आदेश

"उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2015" तथा "उत्तराखण्ड फिल्म (संशोधन) नीति–2019" में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत से अधिक शूट हुई फिल्मों को अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। उक्त क्रम में उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 के प्रस्तर 21(2)(3) में निहित प्राविधान के अनुसार गठित तकनीकी एवं वित्तीय समिति द्वारा निम्नानुसार अनुदान हेतु धनराशि की संस्तुति की गई है :–

क्र.सं.	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	अनुदान हेतु वित्तीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि
1	2	3	4
1	फूली (हिन्दी भाषा)	श्री अविनाश ध्यानी, निर्माता, पद्मा सिद्धी फिल्मस, नद्रीपुर रोड, निकट सौभाग्यम इंटरनेशनल एकेडमी, हरिपुर, नवादा, देहरादून, उत्तराखण्ड। **Name-AXIS Bank Ltd.** **A/C- 920020033466827** **IFSC-UTB0003560** **PAN-ASUPD1496P**	₹24,37,329/– (रुपये चौबीस लाख सैंतीस हजार तीन उन्तीस मात्र)

उपरोक्त तालिका के कॉलम 3 में अंकित फिल्म निर्माता को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 पर अंकित धनराशि जिसका कुल योग **₹24,37,329/–(रुपये चौबीस लाख सैंतीस हजार तीन उन्तीस मात्र)** है, का अनुदान दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त अनुदान के व्यय/उपयोग में उत्तराखण्ड फिल्म नीति के प्राविधानों का संबंधित फिल्म निर्माता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अनुदान की धनराशि के भुगतान के सापेक्ष नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

उक्त अनुदान का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–14 "लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रसार–01–फिल्म–105–फिल्मों का निर्माण–06–फिल्म विकास परिषद की स्थापना की मानक मद 56– सहायक अनुदान (सामान्य गैर वैतनिक) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या– 49 / सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03 / 2019, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4. आहरण वितरण अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून।
5. संबंधित फिल्म निर्माता को।

Billed & Cancelled
Dated. 17-3-25

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Acctt./D.D.O. Soochna Vibhag Uttarakhand

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून
E-mail : ufdc2015@gmail.com दूरभाष : 0135-2662071 / फैक्स : 2662334
Website : www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : 53 / सू.एवंलो.स.वि.(उ.फि.वि.प.) 03 / 2019 दिनांक : 10 मार्च, 2025

कार्यालय आदेश

"उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2015" तथा "उत्तराखण्ड फिल्म (संशोधन) नीति–2019" में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत से अधिक शूट हुई फिल्मों को अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। उक्त क्रम में उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 के प्रस्तर–21(2)(3) में निहित प्राविधान के अनुसार गठित तकनीकी एवं वित्तीय समिति द्वारा निम्नानुसार अनुदान हेतु धनराशि की संस्तुति की गई है :–

क्र.सं.	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	अनुदान हेतु वित्तीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि
1	2	3	4
1	पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन (गढ़वाली बोली / भाषा)	श्री विक्रम नेगी पहाड़ी, निर्माता, पहाड़ी फिल्मस Flat 361/C ground florveer awas sec 18A, Dwarka, New Delhi. Name-Indian Bank A/C-50524419978 IFSC-IDIB000D699 PAN-ACKPN3421E	₹17,52,886 / (रुपये सत्रह लाख बावन हजार आठ सौ छियासी मात्र)

उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में अंकित फिल्म निर्माता को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 पर अंकित धनराशि जिसका कुल योग **₹17,52,886/–(रुपये सत्रह लाख बावन हजार आठ सौ छियासी मात्र)** है, का अनुदान दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त अनुदान के व्यय/उपयोग में उत्तराखण्ड फिल्म नीति के प्राविधानों का संबंधित फिल्म निर्माता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अनुदान की धनराशि के भुगतान के सापेक्ष नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

उक्त अनुदान का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–14 "लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रसार–01–फिल्म–105–फिल्मों का निर्माण–06–फिल्म विकास परिषद की स्थापना की मानक मद 56– सहायक अनुदान (सामान्य गैर वैतनिक) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या–53 / सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03 / 2019, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4. आहरण वितरण अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून।
5. संबंधित फिल्म निर्माता को।

Billed & Cancelled
Dated.
Acctt./D.D.O
Soochna Vibhag Uttarakhand

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून

E-mail : ufdc2015@gmail.com
दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334
Website : www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : 41 / सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.नि.) 03 / 2019 दिनांक : 20 जनवरी, 2025

सेवा में,

श्री गणेश खुगशाल "गणी"

साहित्यकर्मी / भाषा विशेषज्ञ

126, विकास मार्ग, पौड़ी गढ़वाल।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–126 / XXII–02(8)2023 दिनाक 14 मार्च, 2024 के माध्यम से "उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024" में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा फिल्मों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त नीति में निहित प्राविधानों के अनुसार फिल्मों को अनुदान दिये जाने हेतु गठित तकनीकी समिति में भाषा विशेषज्ञ के रूप में आपको नामित किया गया है।

उक्त क्रम में अवगत कराना है कि **दिनांक 30 एवं 31 जनवरी, 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे** सूचना भवन, सभागार में समिति की बैठक आहूत की गई है। उक्त बैठक में फिल्मों को अनुदान दिये जाने संबंधी प्रकरणों पर निर्णय लिया जाना है।

अतः उक्त बैठक में नियत तिथि पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 नितिन उपाध्याय)
संयुक्त निदेशक /
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या– 41 / सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.नि.)03 / 2019 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, सूचना को।

(डॉ0 नितिन उपाध्याय)
संयुक्त निदेशक /
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून
E-mail : ufdc2015@gmail.com
दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334
Website : www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : 52 /सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03/2019 दिनांक : 10 मार्च, 2025

कार्यालय आदेश

"उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2015" तथा "उत्तराखण्ड फिल्म (संशोधन) नीति–2019" में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत से अधिक शूट हुई फिल्मों को अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। उक्त क्रम में उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2024 के प्रस्तर–21(2)(3) में निहित प्राविधान के अनुसार गठित तकनीकी एवं वित्तीय समिति द्वारा निम्नानुसार अनुदान हेतु धनराशि की संस्तुति की गई है :–

क्र.सं.	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	अनुदान हेतु वित्तीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि
1	2	3	4
1	कलरव (हिन्दी भाषा)	श्री राकेश कुमार धामी, प्रोडयूसर, माया प्रोडक्शन, गली नंबर 14, माया इन्क्लेव, शीशमझाड़ी, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड। Name-State Bank of India A/C-39986547395 IFSC- SBIN0061036 PAN-AEJPD4719C Gst- 05AEJPD4719C3ZX	₹17,64,118/– (रुपये सत्रह लाख चौसठ हजार एक सौ अट्ठारह मात्र)

उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में अंकित फिल्म निर्माता को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 पर अंकित धनराशि जिसका कुल योग **₹17,64,118/–(रुपये सत्रह लाख चौसठ हजार एक सौ अट्ठारह मात्र)** है, का अनुदान दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त अनुदान के व्यय/उपयोग में उत्तराखण्ड फिल्म नीति के प्राविधानों का संबंधित फिल्म निर्माता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अनुदान की धनराशि के भुगतान के सापेक्ष नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

उक्त अनुदान का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–14 "लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रसार–01–फिल्म–105–फिल्मों का निर्माण–06–फिल्म विकास परिषद की स्थापना की मानक मद 56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वैतनिक) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा।।

ह०/
(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या–52 /सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4. आहरण वितरण अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून।
5. संबंधित फिल्म निर्माता को।

Billed & Cancelled
Dated. 11/03/25
Acctt./D.D.O
Soochna Vibhag, Uttarakhand

ह०/
(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

011/

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून
E-mail : ufdc2015@gmail.com दूरभाष : 0135- 2662971 / फैक्स : 2662334
Website : www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : 51 / सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03 / 2019 दिनांक : 10 मार्च, 2025

कार्यालय आदेश

"उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2015" तथा "उत्तराखण्ड फिल्म (संशोधन) नीति–2019" में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 75 प्रतिशत से अधिक शूट हुई फिल्मों को अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। उक्त क्रम में उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2024 के प्रस्तर 21(2)(3) में निहित प्राविधान के अनुसार गठित तकनीकी एवं वित्तीय समिति द्वारा निम्नानुसार अनुदान हेतु धनराशि की संस्तुति की गई है :–

क्र.सं.	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	अनुदान हेतु वित्तीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि
1	2	3	4
1	इश्क विश्क रिबांउड (हिन्दी भाषा)	श्री रमेश तुर्रानी और जया तुर्रानी Producer, TIPS FILMS LIMITED 501, Durga Chambers.5th Floor. Linking Road. Khar (West). Mumbai - 400 052 Tel.: +91-22-66431188, **Name-HDFC Bank** **A/C-59200005062009** **IFSC- HDFC0000002** **PAN-AAGCT2393E** **Gst- 27AAGCT2393E1Z9**	₹1,12,50,000 / – (रुपये एक करोड बारह लाख पचास हजार मात्र)

उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में अंकित फिल्म निर्माता को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 पर अंकित धनराशि जिसका कुल योग **₹1,12,50,000 / –(रुपये एक करोड़ बारह लाख पचास हजार मात्र)** है, का अनुदान दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त अनुदान के व्यय / उपयोग में उत्तराखण्ड फिल्म नीति के प्राविधानों का संबंधित फिल्म निर्माता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अनुदान की धनराशि के भुगतान के सापेक्ष नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

उक्त अनुदान का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–14 "लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रसार–01–फिल्म–105–फिल्मों का निर्माण–06–फिल्म विकास परिषद की स्थापना की मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वैतनिक) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा।

Billed & Cancelled
Dated. 11-3-2025
Acctt. ID.D.O.

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या– / सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03 / 2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4. आहरण वितरण अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून।
5. संबंधित फिल्म निर्माता को।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून
E-mail : ufdc2015@gmail.com दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334
Website : www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : 55 / सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03 / 2019 दिनांक : 10 मार्च, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–126 / XXII–02(8)2023 दिनांक 14 मार्च, 2024 के माध्यम से "उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024" के प्रस्तर–6 (1) में निहित प्राविधानों के क्रम में "उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोरोशिंग लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम **₹2.00 करोड़** (दोनों में जो न्यूनतम हो) का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2024 के प्रस्तर–21(2)(3) में निहित प्राविधान के अनुसार गठित तकनीकी एवं वित्तीय समिति द्वारा निम्नानुसार अनुदान हेतु धनराशि की संस्तुति की गई है :–

क्र.सं.	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	अनुदान हेतु वित्तीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि
1	2	3	4
1	पितृकुडा (गढवाली बोली / भाषा)	श्री प्रदीप भण्डारी, निर्माता, पर्वतीय बिगुल फिल्मस, झाड़ीपानी टोल, मसूरी,उत्तराखण्ड। **Name- State Bank Of India** **A/C- 42419073541** **PAN- ABGPB1423R** **IFSC- SBIN0000684** **GST : 05ABGPB1423R3ZQ**	₹8,17,235 / – (रुपये आठ लाख सत्रह हजार दो सौ पैंतीस मात्र)

उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में अंकित फिल्म निर्माता को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 पर अंकित धनराशि जिसका कुल **₹8,17,235 / –(रुपये आठ लाख सत्रह हजार दो सौ पैंतीस मात्र)** है, का अनुदान दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त अनुदान के व्यय / उपयोग में उत्तराखण्ड फिल्म नीति के प्राविधानों का संबंधित फिल्म निर्माता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अनुदान की धनराशि के भुगतान के सापेक्ष नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

उक्त अनुदान का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या–14 "लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रसार–01– फिल्म–105–फिल्मों का निर्माण 06 फिल्म विकास परिषद की स्थापना की मानक मद 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वैतनिक) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा।

ह0/
(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या– 55 / सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03 / 2019, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून
4. आहरण वितरण अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
5. संबंधित फिल्म निर्माता को।

Billed & Cancelled
Dated. ...
Acctt. /D.D.O.
Soochna Vibhag, Uttarakhand

ह0/
(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून

E-mail : ufdc2015@gmail.com
दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334
Website : www.uttarainformation.gov.in

पत्रांक : 54 /सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03/2019 दिनांक : 10 मार्च, 2025

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–126/XXII–02(8)2023 दिनांक 14 मार्च, 2024 के माध्यम से "उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024" के प्रस्तर 6 (1) में निहित प्राविधानों के क्रम में "उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम **₹2.00 करोड़** (दोनों में जो न्यूनतम हो) का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। उत्तराखण्ड फिल्म नीति–2024 के प्रस्तर–21(2)(3) में निहित प्राविधान के अनुसार गठित तकनीकी एवं वित्तीय समिति द्वारा निम्नानुसार अनुदान हेतु धनराशि की संस्तुति की गई है :–

क्र.सं.	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम	अनुदान हेतु वित्तीय समिति द्वारा संस्तुत धनराशि
1	2	3	4
1	**शहीद** (गढवाली बोली/भाषा)	श्री देवेन्द्र सिंह रावत निर्माता, उत्तराखण्ड फिल्म प्रोडक्शन, 4/10 श्री सिद्ध विहार, लोअर नेहरू ग्राम, देहरादून–248005 **Name- Indian Overseas Bank** **A/C- 321402000000101** **IFSC- IOBA0003214** **PAN- ABJPR2789K** **GST : 05ABJPR2789K1Z0**	₹19,47,142/– (रुपये उन्नीस लाख सैंतालिस हजार एक सौ बयालिस मात्र)

उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में अंकित फिल्म निर्माता को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 पर अंकित धनराशि जिसका कुल **₹19,47,142/–(रुपये उन्नीस लाख सैंतालिस हजार एक सौ बयालिस मात्र)** है, का अनुदान दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त अनुदान के व्यय/उपयोग में उत्तराखण्ड फिल्म नीति के प्राविधानों का संबंधित फिल्म निर्माता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।उक्त अनुदान की धनराशि के भुगतान के सापेक्ष नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी।

उक्त अनुदान का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–14 "लेखाशीर्षक–2220 सूचना तथा प्रसार–01–फिल्म–105 फिल्मों का निर्माण–06–फिल्म विकास परिषद की स्थापना की मानक मद 56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वैतनिक) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से किया जायेगा।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पृष्ठांकन संख्या–54 /सू.एवंलो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) 03/2019, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
4. आहरण वितरण अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
5. संबंधित फिल्म निर्माता को।

Billed & Cancelled Dated. 11.3.25
Acctt./D.D.O Soochna Vibhag, Uttarakhand

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी